प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15–9–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3038–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–14 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 151/अ–21/2013–14.

———

गोविंद प्रसाद मरकाम पिता श्री मेर सिंह मरकाम
निवासी कोहका तह. केतवारी जिला सिवनी
हाल मुकाम जबलपुर ——— आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– श्री अंशुलकांत चौधरी पिता श्री शिखरचंद जैन
निवासी 19, एल.आई.जी. आनंद नगर
आधारताल जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3038-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 151/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 28-5-14 से परिवेदित म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरकण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । जो आवेदन आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया हे कि आवेदक के भूमिस्वामित्व की ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 37/30 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 5/2 रकबा 0.710 हैक्टर स्थित है । आवेदक ग्राम कोहका तह. केवलारी जिला सिवनी का निवासी है, विक्रय का रकबा अत्यंत छोटा है प्रश्नाधीन भूमि निवास से बहूत दूर है इस कारण वह भूमि की देखरेख सही प्रकार से नहीं कर पाता है । आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त आवेदक ग्राम कोहका प.ह. 044 रा.नि.मं. केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित भूमि सर्वे नं. 162 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नं. 171 रकबा 0.64 हैक्ट, खसरा नं. 191 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नं. 242/2 रकबा 1.80 हैक्टर का स्वतंत्र भूमिस्वामी है । खसरा नं. 191 रकबा 0.02 हैक्टर को छोड़कर शेष भूमि सिंचित है । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लिखित अनुसार कुल पांच एकड़ सिंचित अथवा दस एकड़ असिंचित भूमि शेष नहीं बच रही है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों की जो प्रतियां पेश की हैं, उनके साथ उन्होंने ग्राम कोहका प.ह. 044 रा.नि.मं. केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी के खसरे की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार आवेदक खसरा नं. 162 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नं. 171 रकबा 0.64 हैक्ट, खसरा नं. 191 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नं. 242/2 रकबा 1.80 हैक्टर का स्वतंत्र भूमिस्वामी दर्ज है । कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा आवेदक को पट्टे पर नहीं दी गई है बल्कि उसके द्वारा उसे पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय किया गया है । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव नहीं है तथा आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताये गये हैं वे उचित हैं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर आवेदक का भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है वह आधार अभिलेख पर आधारित नहीं है । अतः प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार के पश्चात कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-5-14 निरस्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 37/30 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 5/2 रकबा 0.710 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- केता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा ।

4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

उभयपक्ष सूचित हों ।

सदस्य